न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी– कमर चौधरी
आई0ए0एस0
प्रा0 पत्र सं0 13/2016 प्रा0पत्र 14(4) आवंटन नियम

1. निरन्जन लाल पुत्र छीतरमल जाति ब्राह्मण निवासी बासणा तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा

..प्रार्थी

बनाम

1. मूलचन्द पुत्र घासीलाल (फौत)
   1/1 तेजराम पुत्र मूलचन्द
   1/2 रमेश पुत्र मूलचन्द
   1/3 सीताराम पुत्र मूलचन्द
   समस्त जाति मीना निवासी बासणा तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा

..अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) रा.अ.कृ.भू.आ.नियम 1970

उपस्थित–1. श्री ब्रजमोहन गौड, अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री राजकुमार तिवाडी, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1/1 से 1/3
3. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय दिनांकः 21.07.2023

संक्षिप्त वृतांत प्रा0 पत्र 14 (4) इस प्रकार है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 01.06.1989 को ग्राम बासणा के खसरा नंबर 1187/1390 रकबा 0.23है., खसरा नंबर 994/1396 रकबा 0.07है. खसरा नंबर 998/1389 रकबा 0.13 है. कुल किता 3 रकबा 0.43है. भूमि का आवंटन अप्रार्थी मूलचंद पुत्र घासी जाति मीना को कर दिया। प्रार्थी द्वारा इसी आवंटन आदेश से व्यथित होकर यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14 (4) भू–आवंटन नियम–1970 के तहत प्रस्तुत किया गया।

प्रा0 पत्र 14 (4) दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में दलील दी कि आराजी पूर्व खसरा नंबर 1107 रकबा 05 बीघा वाके ग्राम बासना तत्कालीन तहसील दौसा वर्तमान तहसील नांगल राजावतान गै0मु0 नदी जिसके बाद भू प्रबंध खसरा नंबर 1187/1390 रकबा 23 एयर, खसरा नंबर 994/1396 रकबा 7 एयर, व खसरा नंबर 998/1389 रकबा 13 एयर वाके ग्राम बासणा के आवंटन हेतु मूलचन्द पुत्र घासी मीणा ने आवेदन भू–आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष अदिनांकित एवं असत्यापित प्रस्तुत किया। आवेदन के प्रकोष्ठ संख्या चार में भूमि की श्रेणी नदी पेटा अंकित की गई तथा प्रकोष्ठ संख्या पांच में नोट अंकित किया गया। प्रार्थी उपरोक्त भूमि को इजाजत काश्त करना चाहता है। भू–अभिलेख निरीक्षक अंकित कर भू–प्रबन्ध के बाद कायम उक्त खसरा नंबर अंकित किये गये। मूलचन्द द्वारा प्रस्तुत उक्त आवेदन की पुश्त पर पटवारी हल्का द्वारा प्रतिवेदन में अंकित किया गया कि प्रार्थी के बारे में जानकारी नहीं है। पटवारी हल्का द्वारा उक्त प्रतिवेदन कारण की गई क्योंकि आवेदक बासणा का निवासी नहीं है, पापडदा का

.....निरंतर 2 पर

जिला कलेक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निवासी है। पटवारी हल्का के उक्त प्रतिवेदन का अवलोकन किये बिना भू–आवंटन सलाहकार समिति ने दिनांक 1.6.89 ई को आवेदक के पक्ष में खसरा नंबर 1187/1390 रकबा 23 एयर, खसरा नंबर 994/1396 रकबा 07 एयर खसरा नंबर 998/1396 रकबा 13 एयर कुल किता 3 रकबा 43 एयर का आवंटन करने की अनुशंसा की गई। तदनुसार उपखण्ड अधिकारी दौसा ने आवेदक के नाम उक्त खसरा नंबर की भूमि का आवंटन आदेश फरमा दिया। आवंटी मूलचन्द के नाम आवंटन आदेश के आधार पर दिनांक 13.6.1990 को भरे गये नामान्तकरण गैर खातेदारी के प्रकोष्ठ 6 में अंकित किया गया कि खसरा नंबर 994/1396 रकबा 7 एयर भूमि राजकीय सिवाय चक भूमि नहीं है उसका आवंटन गलत हो गया है। अतः आवंटी के नाम मात्र आराजी खसरा नंबर 1187/1390 रकबा 23 एयर व खसरा नंबर 998/1389 रकबा 13 एयर किता दो कुल रकबा 36 एयर का नामान्तरण गैर खातेदारी तहसीलदार दौसा द्वारा प्रमाणित फरमा दिया गया। तदुपरान्त दिनांक 3.10.2001 को आवंटन शर्तों की पालना की गई है, नोट लगाकर नामान्तरण खातेदारी तहसीलदार ने तस्दीक फरमा दिया। इस प्रकार मूलचन्द पुत्र घासी के नाम गैर मुमकिन नदी की भूमि जिसके इजाजत काश्त हेतु मूलचन्द पुत्र घासी द्वारा आवेदन किया गया था पर भू आवंटन सलाहकार समिति ने अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण कर गैर मुमकिन नदी की भूमि को आवंटी की प्रार्थना के विपरीत स्थाई आंवटन कर आवंटी के नाम नामान्तरण गैर खातेदारी एवं खातेदारी विधि विरूद्ध अंकित कर दी गई। अधिनस्थ भू आवंटन सलाहकार समिति द्वारा मूलचन्द पुत्र घासी जाति मीणा निवासी बासणा के नाम दिनांक 1.6.1989 को पारित प्रश्नगत आदेश विधि प्रक्रिया नियम तथ्य एवं न्याय के सामान्य सिद्धांतो के विपरीत है। भू–आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष आवंटी आवेदक द्वारा आवंटन चाहने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर पटवारी के द्वारा किये गये प्रतिवेदन पर विचार किये बिना भू आवंटन सलाहकार समिति ने आवेदक के नाम आवंटन आदेश की अनुशंसा कर अपने अधिकार क्षेत्र का सम्यक उपयोग नहीं किया गया क्योंकि नदी पेटा की भूमि का स्थाई आंवटन नहीं किया जा सकता। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार यदि ऐसा कोई आवंटन कर भी दिया गया है तो वह निरस्तनीय है। भूमि आवंटन के योग्य थी ही नहीं। नदी पेटा भूमि का स्थाई आवंटन नहीं हो सकता। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के अनुसार नदी पेटा भूमि आवंटन योग्य भूमि थी। प्रार्थना पत्र में इसका स्पष्ट उल्लेख है। पटवारी स्वयं भू अभिलेख निरीक्षक के प्रतिवेदन व अंकन के बाद भू आवंटन सलाहकार समिति द्वारा किया गया प्रश्नगत आवंटन आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्तनीय है। आवंटी ग्राम बासणा का निवासी नहीं था अन्य ग्राम पापडदा का निवासी था। आंवटी ने इस तथ्य को छिपाया हैं। मूलचन्द की खातेदारी में भूमियों के तथ्य के संबंध में भी पटवारी हल्का ने अपने प्रतिवेदन में लिखा है कि वह आवेदक के बारे में जानकारी नहीं होने के कारण प्रतिवेदन करने में असमर्थ है। बिना पटवारी प्रतिवेदन आवंटी के पक्ष में किया गया आवंटन आदेश निरस्तनीय है। आवंटन आदेश में अंकित खसरा नंबर 994/1396 सिवाय चक भूमि थी ही नहीं किन्तु आवंटन सलाहकार समिति ने उसका भी आवंटन कर दिया। आवंटन आदेश प्रचलित करने से पूर्व की प्रक्रिया सम्पन्न हुए बिना आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश निरस्त योग्य है। आवंटन सलाहकार समिति ने इस तथ्य पर विचार ही नहीं किया कि भूमि आवंटन योग्य है अथवा नहीं। आवंटन नियम 1970 नियम 4 के अनुरूप आवंटित भूमि आवंटन के योग्य नहीं होते हुए भी प्रश्नगत आवंटन

.....निरंतर 3 पर

जिला कलेक्टर,दौसा

आदेश पारित कर भू आवंटन सलाहकार समिति ने अपने कर्त्तव्य का सम्यक निर्वहन नहीं किया, अतः प्रश्नगत आंवटन आदेश निरस्त योग्य है। अप्रार्थी का आवंटित भूमि पर कब्जा नहीं रहा है। आराजी खसरा नंबर 998/1389 रकबा 13 एयर भूमि पर प्रार्थी का निरन्तर निर्बाध कब्जा चला आ रहा है। अप्रार्थी का आवंटिन भूमि पर कब्जा नहीं है। आवंटी द्वारा आवंटन की शर्तों की पालना नहीं किये जाने के कारण आवंटन आदेश खण्डनीय है। अतः प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) आवंटन नियम 1970 स्वीकार फरमाया जाकर आवंटी मूलचन्द पुत्र घासी के नाम भू आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांक 1.6.1989 को निररत फरमाया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1/1 से 1/3 ने बहस में दलील दी कि भूमि खसरा नम्बर 998/1389 रकबा 0.13 है०, खसरा नंबर 1187/1390 रकबा 0.23 है0, खसरा नंबर 994/1396 रकबा 0.07 है० कुल किता 3 कुल रकबा 0.43 है० वाके ग्राम बासना किस्म सिवाय चक भूमि आवंटन कमेटी द्वारा दिनांक 01–06–1989 को विधिवत व कानूनन तरीके से अप्रार्थीगण के पिता मूलचन्द पुत्र घासी को आवंटन नियम व शर्तो की पालना करते हुए आवंटित हुई है जो यथावत रखे जाने योग्य है एवम् प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 14 (4) खारिज किये जाने योग्य है। आवंटित भूमि खसरा नम्बर 998/1389 रकबा 0.13 है0, खसरा नंबर 1187/1390 रकबा 0.23 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 0.36 है0 वाके ग्राम बासना के खातेदार मूलचन्द पुत्र घासी के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रिकॉर्ड है इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उजरात खारिज योग्य है। आवंटी मूलचन्द पुत्र घासी का आवंटन के दिनांक से अपने जीवन काल तक व उसके पश्चात अप्रार्थीगण सं. 1/1 से 1/3 का उक्त आवंटित भूमि पर आज दिनांक तक कब्जा काश्त है व काबिज रह कर उपयोग उपभोग कर रहे है। आवंटन आदेश कानून, नियम, उपनियम की पालना करते हुए पत्रावली तथ्यो के अनुसार ही किया गया है। विवादित आराजीयात पर अप्रार्थी सं0 1/1 से 1/3 का अपने पूर्वज मूलचन्द को आवंटन के समय से ही कब्जा काश्त है प्रार्थी को उक्त भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई हक एवं अधिकार प्राप्त नहीं है। आवंटन कमेटी द्वारा पूर्ण कोरम के द्वारा उक्त आवंटन किया गया है। आवंटी द्वारा आवंटन फार्म नियमानुसार भर कर पूर्ण प्रक्रिया अपनाकर ही आवंटन कमेटी द्वारा उक्त आवंटन मजमे आम में आवंटन नियमों के अनुसार किया गया है। उक्त उजरात प्रार्थना पत्र आवंटी मूलचन्द की आवंटित भूमि को हडपने के लिए द्वेषतापूर्ण पेश किया गया है। अप्रार्थीगण का उक्त आवंटनशुदा भूमि पर निरन्तर कब्जा काश्त है एवं आवंटन के पूर्व से आज दिन तक आवंटी मूलचन्द पुत्र घासी द्वारा एवं उनके देहान्त के उपरांत अप्रार्थी सं0 1/1 से 1/3 द्वारा उक्त भूमि पर काश्त की जा रही है। भू आवंटन नियमों के अनुसार वे ही आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है जो मेलाफाइड तरीके से एवं फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेज पेश कर किये गये हो। जबकि उक्त आवंटन आदेश भू आवंटन नियमों की पालना करते हुए किया गया है इसलिए यथावत रखे जाने योग्य है। भू आवंटन नियम के प्रावधानों के अनुसार किसी भी आवंटित भूमि का खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के पश्चात 14(4) उजरात पेश नहीं किये जा सकते है। उक्त प्रावधान आवंटन नियम के अनुसार लागू नहीं होते है बल्कि खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के पश्चात सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया जा सकता है। आवंटित भूमि खसरा नम्बर 998/1389 रकबा 0.13 है0, खसरा नंबर 1187/1390 रकबा 0.23 है० कुल किता 2 कुल रकबा 0.36 है0 वाके ग्राम बासना के अप्रार्थीगण रिकॉर्डेड खातेदार काबिज काश्तकार है। इस प्रार्थना

.....निरंतर 4 पर

जिला कलेक्टर, दौसा

पत्र 14 (4) उजरात में खातेदारी अधिकार को खारिज नहीं किया जा सकता है। उक्त भूमि साबिक रिकॉर्ड के अनुसार प्रारम्भ से ही सिवाय चक भूमि थी सिवाय चक भूमि को भू आवंटन नियमों के अनुरूप आवंटन कमेटी द्वारा आवंटित किया जा सकता है। अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1/1 से 1/3 ने नकल जमाबंदी संवत 2041 से 2060, नकल जमाबंदी संवत 2019, नकल खतौनी बंदोबस्त संवत 2003 से 2022 की प्रति पेश की गई। अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1/1 से 1/3 ने अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त आरआरटी 2023(1)पेज 559 आरबी, 2021 आरबीजे पेज 747 आरबी, आरआरडी 2018 पेज 47 एचसी, आरआरटी 2017(2)पेज 972 आरबी, 2011(1)आरआरटी पेज 383 एचसी, आरआरडी 2008 पेज 125 आरबी, आरआरडी 2007 पेज 713 आरबी, आरआरडी 2006 पेज 135 आरबी, आरबीजे (8) 2001 पेज 125 आरबी, आरबीजे 1995 (2) पेज 780 एचसी की प्रतियां पेश की जाकर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन नियम 1970 को निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राजकीय अधिवक्ता की ने दलील दी कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 1.6.1989 को कैंप खवारावजी में आवंटी मूलचंद पुत्र घासी जाति मीना निवासी बासना को ग्राम बासना स्थित भूमि खसरा नंबर 998/1389 रकबा 0.13 है0, खसरा नंबर 1187/1390 रकबा 0.23 है०, खसरा नंबर 994/1396 रकबा 0.07 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.43 है0 का आवंटन मजमें आम में विधिवत रूप से किया गया है। आवंटी द्वारा आवंटन की शर्तों की पालना किये जाने पर आवंटी को खसरा नंबर 998/1389 रकबा 0.13 है0, खसरा नंबर 1187/1390 रकबा 0.23 है०कुल किता 2 कुल रकबा 0.36 पर गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये है। प्रार्थी द्वारा नितान्त गलत आधारों पर यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) आवंटन नियम 1970 पेश किया गया है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावे।

हमने उभपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं न्यायिक दृष्टान्तों का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 1.6.1989 को कैंप खवारावजी में आवंटी मूलचंद पुत्र घासी जाति मीना निवासी बासना को ग्राम बासना स्थित भूमि खसरा नंबर 998/1389 रकबा 0.13 है0, खसरा नंबर 1187/1390 रकबा 0.23 है०, खसरा नंबर 994/1396 रकबा 0.07 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.43 है0 का आवंटन किया गया है। आवंटी द्वारा भूमि आवंटन कराने बाबत विधिवत रूप से आवेदन पत्र आवंटन कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किया जाकर खसरा नंबर 1107 नदी पेटा की भूमि में से आवंटन चाहा गया था। आवंटन सलाहकार समिति ने खसरा नंबर 998/1389 रकबा 0.13 है0, खसरा नंबर 1187/1390 रकबा 0.23 है०, खसरा नंबर 994/1396 रकबा 0.07 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.43 है0 भूमि का आवंटी मूलचंद के पक्ष में आवंटन किया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित किया गया है कि आवंटी ग्राम बासना का नहीं होकर ग्राम पापडदा का निवासी है जबकि आवंटी के भूमि आवंटन हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र में आवंटी द्वारा ग्राम बासना का ही होना अंकित किया है एवं आवंटन सलाहकार समिति द्वारा भी ग्राम बासना के ही आवंटी को भूमि आवंटित की गई है प्रार्थी द्वारा आवंटी का ग्राम बासना का नहीं होकर ग्राम पापडदा का होने का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, इस कारण प्रार्थी का यह कथन असत्य है। भूमि आवंटन होने पर राजस्व कैंप दिनांक 15.6.1990 में आवंटी को खसरा नंबर

.....निरंतर 5 पर

जिला कलेक्टर,दौसा

1187/1390 रकबा 0.23है. एवं खसरा नंबर 998/1389 रकबा 0.13है. कुल किता 2 रकबा 0.36है. की गैर खातेदारी प्रदान की गई है। तत्पश्चात आवंटी को प्रशासन गांवों के संग अभियान में दिनांक 3.10.2001 को उक्त आवंटित भूमि रकबा 0.36है. पर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने हेतु नामान्तरण खोला गया है। प्रार्थी के द्वारा भूमि को गै0मु0नदी की भूमि बताई गई है किन्तु कथन के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे भूमि की किस्म गै0मु0नदी प्रमाणित होती हो। भूमि आवंटन योग्य भूमि थी जिसका विधिवत रूप से आवंटन किया गया है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रा.पत्र में यह कथन किया गया है कि खसरा नंबर 998/1389 रकबा 0.13है. पर निरंतर कब्जा चला आ रहा है, जबकि कब्जे के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे उनकी इस बात को बल मिलता हो। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा प्रश्नगत भूमि का आवंटन पूर्ण प्रकिया अपनाते हुए विधिवत रूप से किया गया है जिसमें किसी भी प्रकार का फ्रोड एवं मिसरिप्रजेन्टेशन किया जाना नहीं पाया जाता है। नकल जमाबंदी संवत 2041 से 2060, नकल जमाबंदी संवत 2019, नकल खतौनी बंदोबस्त संवत 2003 से 2022 के अवलोकन से भी भूमि की किस्म गै0मु0 नदी प्रमाणित नहीं होती है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) आवंटन नियम 1970 नितान्त गलत आधारों पर प्रस्तुत किया गया है जिसे हम निरस्त किये जाने योग्य समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) आवंटन नियम 1970 निरस्त किया जाता है। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 1.6. 1989 को कैंप खवारावजी में आवंटी मूलचंद पुत्र घासी जाति मीना निवासी बासना को ग्राम बासना स्थित भूमि खसरा नंबर 998/1389 रकबा 0.13 है0, खसरा नंबर 1187/1390 रकबा 0.23 है०, खसरा नंबर 994/1396 रकबा 0.07 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.43 है0 का आवंटन बहाल रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर,दौसा

निर्णय आज दिनांक 21 जुलाई, 2023 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर, दौसा